FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या **196 / 2021**

किस्म प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत नाम दुरूस्ती

सुशील देवी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.21	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वयं ने उपस्थित होकर पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अनुतोष चाहा है कि राजस्व ग्राम बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–78 के हाल खाता संख्या 1657 के खसरा नम्बर 3574 / 1140 रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि की एकल खातेदार सुशीला देवी पत्नी दिनेश कुमार दर्ज रिकार्ड है। आवेदिका ने उक्त भूमि दिनांक 16–09–2013 को जरिये विक्रय पत्र खरीद की है। विक्रय पत्र का नामान्तकरण सुशीला देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि आवेदिका का सही नाम सुशील देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 16–09–2013 से यह स्पष्ट है कि आवेदिका ने हजारी सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना से दिनांक 16–09–2013 को **सुशील देवी** पत्नी दिनेश कुमार जाति खाती निवासी पापड़ा तहसील उदयपुरवाटी हाल आबाद बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान के नाम से भूमि क्रय की है जो मुताबिक रिकार्ड के सही है परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से सुशील देवी पत्नी दिनेश कुमार के स्थान पर सुशीला देवी पत्नी दिनेश कुमार दर्ज किया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। –: आदेश :– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 1657 में दर्ज सुशीला देवी पत्नी [illegible] कुमार के स्थान पर सुशील देवी पत्नी [illegible] करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना [illegible]तानुसार प्रार्थीया का नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम [illegible] तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (Seal: उपखण्ड अधिकारी एवं ... बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.))	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.10.14 13:42:53 IST
Reason: SelfAttested